

July – August 2024
B. A. LL. B. / B. B. A. LL. B. / B. Com. LL. B. (5 Y. D. C.)
X Semester Examination

CIVIL PROCEDURE CODE AND LIMITATION ACT
PAPER I

Time 3 Hours]

[Max. Marks 80
[Min. Marks 32

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिये 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है।

Answer any five questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time.

1. प्राइन्त्याय का सिद्धान्त क्या है ? इस सिद्धान्त के क्षेत्र एवं आधारों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिये।
What is the doctrine of Res-judicata ? Discuss its scope and basis of the doctrine with illustration.
2. प्रतिवादी पर सम्मन्स के निर्वाहन करने के विभिन्न तरीके क्या हैं ? विवेचना कीजिये।
What are the different modes of effecting Service of Summons of a Defendant ? Discuss.
3. वादों में पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन से क्या तात्पर्य है ? क्या ऐसे असंयोजन या कुसंयोजन से वाद विफल हो जाता है? समझाइये।
What is meant by Non Joinder or Mis-Joinder of Parties in Suits ? Can a suit be defeated by reasoned of such Non-Joinder or Mis-Joinder ? Explain.
4. प्रतिसादन को परिभाषित कीजिये। प्रतिसादन के कितने प्रकार होते हैं ?
Define Set-off. What are the kinds of Set-off ?
5. प्रकटीकरण से क्या अभिप्राय है ? व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रकटीकरण एवं जाँच के सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख कीजिए।
What do you mean by Discovery ? Illustrate the rules regarding discovery and inspections under Civil Procedure Code.
6. न्यायालय के किसी एक पक्षीय आदेश या डिक्री के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध उपचार की विवेचना कीजिये।
Discuss the remedy available to the aggrieved party against any export order or decree of the Court.
7. सरकार के विरुद्ध तथा सरकार द्वारा दायर किये जाने वाले वादों सम्बन्धी विधि का परीक्षण कीजिये।
Examine the provisions relating to suit by or against the Government.
8. निम्नलिखित में अन्तर बताइये :
(अ) अपील एवं पुनरीक्षण।
(ब) पुनर्विलोकन एवं अपील।
Distinguish between the following :
(a) Appeal and Revision.
(b) Review and Appeal
9. पर्याप्त कारण को परिभाषित कीजिये और बताइये कि मियाद बढ़ाने के लिये कौन-से कारण पर्याप्त माने जाते हैं ?
Define Sufficient Cause and write down that what are the sufficient causes for the purpose of extension period of limitation ?
10. मियाद अधिनियम धारा 6 के अन्तर्गत कौन-से विधिक निर्योग्यता के विषय में बताये गये हैं ? उदाहरण दीजिये।
What are the legal disabilities discussed under section 6 of the Limitation Act ? Give examples.